...ालय उपखण्ड अधिकारी एवं मजिस्ट्रेट मांगरोल जिला बारां

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

... 55/2009

रतनलाल गोद पुत्र गोपाल जाति भील निवासी किशनपुरा हाल निवासी वार्ड नं0 1 मांगरोल जिला बारां

....वादी

♠ बनाम ♠

1. रामभरोसी पुत्री गोपाल पत्नि रघुनाथ जाति भील निवासी किशनपुरा हाल निवासी चाणदा तह0 पीपल्दा जिला कोटा
2. केकिया पुत्री गोपाल पत्नि रामपाल जाति भील निवासी किशनपुरा हाल निवासी सीसवाली रोड बरडिया अंता जिला बारां
3. कल्याणी बाई बेवा गोपाल जाति भील निवासी किशनपुरा तह0 मांगरोल जिला बारां
4. बजरंगलाल पुत्र चन्दा जाति भील नि वासी किशनपुरा हाल निवासी मांगरोल जिला बारां
5. राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार मांगरोल जिला बारां (राज0)

....प्रतिवादीगण

दावा अन्तर्गत धारा 53, 188, 183 आर0टी0एक्ट0

पीठासीन अधिकारी : श्री प्रमोद कुमार सिंधव (आरएएस)
वकील वादीगण : श्री महेन्द्र सिंह हाडा
वकील प्रतिवादीगण : श्री भंवर सिंह गौड, श्री मनोज आर्य
दायरा दिनांकः 22.10.2009 निर्णय दिनांक : 23.02.2018

प्रस्तुत प्रार्थना पत्र का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि खसरा नं0 438 रकबा 0.77 है0, खसरा नं0 595 रकबा 0.57 है0, खसरा नं0 497 रकबा 0.40 है0 कुल किता 3 रकबा 1.74 है0 आराजी वाके माल किशनपुरा तह0 मांगरोल में स्थित है। आराजी प्रतिवादी नं0 1 लगायत 3 के 1/2 हिस्से में व प्रतिवादी नं0 4 के 1/2 हिस्से में दर्ज हो रही है। वादी व प्रतिवादीगण का पारिवारिक सजरा निम्न प्रकार हैः–

चन्दा
गोपाल (फौत) — बजरंगा
गोपाल (फौत): रामभरोसी पुत्री — केकिया पुत्री — कल्याणी बाई बेवा — वादी गोद पुत्र रतनलाल

स्वर्गीय गोपाल वादी के प्राकृतिक पिता के बडे भाई थे, उनकी पत्नि कल्याणी बाई थी, जो वर्तमान में मौजूद है। स्वर्गीय गोपाल के दो पुत्रियां थी, कोई पुत्र न होने से गोपाल के 65 वर्ष की आयु में अपने पत्नि कल्याणी बाई की सहमति से दिनांक 06.05.1997 गवाह रामेश्वर व गवाह डॉक्टर अर्जुन की उपस्थिति

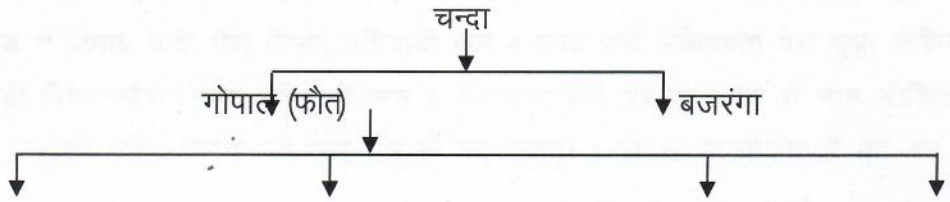

[illegible] निष्पादित करवाया इस गोदनामा को डीडराईटर श्रीराम शर्मा ने लिखा था, [illegible] व उनकी पत्नि कल्याणी बाई के हस्ताक्षर हो रहे है। वादी गोदनामा निष्पादित [illegible] के मुँह से ही स्वर्गीय गोपालजी के पास रहता था, और उन दोनो पति–पत्नि की सेवा [illegible] की मृत्यु दिनांक 13.05.1997 को होने के बाद जाति बिरादरी समाज ने उनकी पगडी [illegible] की प्रतिवादी नं0 1 लगायत 3 ने राजस्व कर्मचारियों से मिलकर चुपचाप गोपाल के हिस्से [illegible] इन्तकाल तस्दीक करा लिया है, वादी को जानकारी होने पर वादी ने हल्का पटवारी और [illegible] से निवेदन किया तो वादी को बताया गया कि अपने गोदनामा के आधार पर न्यायालय में वाद [illegible] प्रतिवादी नं0 1 लगायत 3 की सहमति से स्वर्गीय गोपाल जी ने वादी को गोद पुत्र बनाया था, प्रतिवादी नं0 3 जो वादी की मा है। वादी के पास ही रह रही है, प्रतिवादी नं0 1 व 2 भी वादी को अपना नहीं मानते हुये आती–जाती है, लेकिन 5–6 माह पूर्व से ही प्रतिवादी नं0 1 लगायत 3 ने वादी को धमकी देना शुरू कर दिया है, कि आराजी पर से कब्जा छोडो आराजी हमारे खाते दर्ज हो रही है, प्रतिवादीगण की बार–बार की धमकी से वादी के लिय यह आवश्यक हो गया है कि वादी, प्रतिवादीगण के विरूद्ध स्थायी निषेधाज्ञा प्राप्त करें और अपने पक्ष में खातेदारी की घोषणा इस सम्माननीय न्यायालय से करावें। अतः प्रतिवादी कम 1 लगायत 3 के विरूद्ध इस आशय की डिकी सादिर फरमावें। कि आराजी खसरा नं0 438 रकबा 0.77 है0, खसरा नं0 595 रकबा 0.57 है0, खसरा नं0 497 रकबा 0.40 है0 कुल किता 3 रकबा 1.74 है0 आराजी वाके माल किशनपुरा तह0 मांगरोल के 1/2 हिस्से पर प्रतिवादी नं0 1 लगायत 3 के स्थान पर वादी को आराजी का खातेदार घोषित किया जावे, ब आराजी का बंटवारा किया जाकर पृथक से वादी के खाते में दर्ज की जावें। एवं स्थायी निषेधाज्ञा से प्रतिवादी कम 1 लगायत 3 को पाबंद किया जावे कि उक्त आराजी में दखलअंदाजी ना करें।

उक्त आशय का वाद पत्र प्राप्त होने पर प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जर्ये सम्मन तलब किया गया, प्रतिवादी कम 1 व 2 की ओर से मनोज आर्य व प्रतिवादी कम 3 की ओर से श्री भंवरसिंह गौड ने जवाब दावा पेश किया, प्रतिवादी कम 4 स्वयं जर्ये अधिवक्ता पेश हुआ लेकिन कोई जवाब दावा पेश नही किया दौराने वाद प्रतिवादी कम 3 की मृत्यु होने पर वाद पत्र से नाम डीलिट किया गया। जवाब दावा अनुसार प्रतिवादीगण को वाद पत्र के मद संख्या 1 से 10 अस्वीकार है एवं मद संख्या 11 से 13 कानूनी है। एवं विशेष कथन किया कि वादी द्वारा सी0पी0सी0 के प्रावधानो के तहत पेश नही करने से खारिज योग्य है वादी ने अनरजिस्टर्ड कूट रचित दस्तावेज फर्जी गोदनामा षढयन्त्र पूर्वक तरीके से तैयार कर न्यायालय मे पेश किया है, उसके आधार पर वादी गोपाल की मृत्यु उपरान्त उनकी जायदाद को हडपना चाहता है, जिसका उसको कोई अधिकार नही है, वादी को कभी भी गोपाल ने प्रतिवादी कम 1, 2 व 3 की सहमति से गोद नही लिया, ना ही कभी गोपाल ने वादी को अपने जीवनकाल में गोद लिया है,

[illegible] के कोई पगडी नही बांधी ना ही गोपाल की मृत्यु के बाद उनके कियाकर्म [illegible] फर्जी दस्तावेज के आधार पर उक्त कूटरचित दस्तावेज दिनांक 06.05. [illegible] न्यायालय से किसी भी प्रकार की राहत प्राप्त करने का अधिकारी नही है। षडयन्त्र पूर्ण [illegible] करने के गवाह है, जिनको प्रार्थी/वादी ने लिखाया है, दोनो गवाहो ने फर्जी [illegible] किये है। प्रतिवादी कम 3 के पति गोपाल थे, जिनका स्वर्गवास हो गया है, प्रतिवादी नं0 3 [illegible] गोपाल ने अपने जीवनकाल में कभी भी वादी को गोद पुत्र नही रखा, रतनलाल, बजरंगा का [illegible] प्रतिवादी नं0 3 व गोपाल के दो लडकियां प्रतिवादी नं0 1 रामभरोसी व प्रतिवादी नं0 2 केकिया है, [illegible] उनके कोई पुत्र नही है, ना ही उन्होने किसी को अपना गोद पुत्र रखा है। प्रतिवादी नं0 3 के [illegible] के बाद उनका कियाकर्म उनकी पुत्रियों के पति गोपाल के द्वारा व उनकी दोनो पुत्रियों के [illegible] रूप से किया गया था। केकिया के पति रामपाल मौजूद नही होने के कारण दाह संस्कार में केकिया के द्वारा हिस्सा लिया गया था, उसके बाद उनके समस्त दिन के कियाकर्म भी उनकी पुत्री रामभरोसी व केकिया रघुनाथ व रामपाल व स्वयं प्रतिवादिया कम 3 के द्वारा किये गये है, पगडी रस्म प्रतिवादी कम 3 ने किसी भी परिवार के या अन्य सदस्यो को नही होने दी, तथा अपने पति गोपाल की पगडी स्वयं के पास रखली तथा पगडी रस्म में प्रतिवादनी ने स्वयं ने यह परिवार व समाज के सामने यह घोषणा की थी कि मेरे पति की समस्त चल अचल सम्पत्ति पर परिवार के व समाज के किसी भी व्यक्ति को कोई अधिकार नही होगा, क्याकि अभी में मेरे पति की बेवा कल्याणी बाई मौजूद हूं, तथा मेरे दो पुत्रियां रामभरोसी व केकिया मौजूद है, अर्थात प्रतिवादीनी कम 3 व उसकी लडकिया रामभरोसी व केकिया की प्रतिवादनी कम 3 के पति गोपाल की समस्त चल अचल सम्पत्ति की एक मात्र वारिस होगी। प्रतिवादनी कम 3 के पति गोपाल की मृत्यु के बाद उनकी समस्त चलअचल सम्पत्ति पर प्रतिवादनी कम 3 का कब्जा है, प्रतिवादनी कम 3 ही अपने मृतक पति के देहान्त के बाद ही उक्त वर्णित विवादित जमीन पर काबिज है, व काश्त कर रही है, प्रतिवादनी कम 3 किसी वर्ष स्वयं काश्त करती है, किसी वर्ष पांती काश्त व किसी वर्ष मुनाफा काश्त करवाती है, वर्तमान में पति वादनी कम 3 ने उक्त विवादित आराजी को मुनाफा काश्त पर दे रखा है। प्रतिवादनी कम 3 के कोई लडका नही होने के कारण वादी रामरतन व उसके पिता बजरंगलाल के मन में बेईमानी आ गई है, प्रतिवादनी कम 3 अपनी पुत्री के पास अन्ता में रहती है, तथा उसकी दूसरी पुत्री रामभरोसी अपने ससुराल रहती है, ऐसी स्थिति में वादी मनगढंत कहानी बनाकर उक्त आराजी को हडप करने पर आमादा है, इसी नियत से वादी के द्वारा एक फर्जी दस्तावेज गोदनामा तैयार किया गया है, जो किसी भी प्रकार से सत्य एवं सही नही है, वादी ने वाद पत्र की मद नं0 1 में प्रतिवादनी कम 3 के द्वारा गोद नामें पर हस्ताक्षर करना बताया है, जबकि प्रतिवादी कम 3 गांव की अनपढ व गंवार महिला है जो पढना लिखना नही जानती है और न ही हस्ताक्षर करना जानती है। अतः निवेदन है कि

[illegible] —का खारिज किया जावे, एवं प्रतिवादीगण कम 1 व 2 को 10000/— रू0 [illegible] के विरूद्ध इस आशय की स्थायी निषेधाज्ञा पारित करें कि वह [illegible] ग्राम किशनपुरा की आराजी पर खातेदारी अधिकारो का उपयोग करते हुये उस [illegible] दे, उस पर किसी भी प्रकार की मदालखत न तो स्वयं करें और न ही अपने [illegible]

[illegible] जवाब दावे के आधार पर निम्न तकनीयात कायम की गई। जिसके अनुसारः—

1. दिनांक 06.05.1997 को स्वर्गीय गोपाल ने गवाहान के समक्ष गोदनामा वादी के पक्ष में निष्पादित किया था, उक्त गोदनामा के आधार पर वाद पत्र की मद नं0 1 में वर्णित आराजी का 1/2 हिस्सा अपने खाते दर्ज कराने का अधिकारी है। — वादी
2. गोदनामा दिनांक 06.05.1997 कूट रचित, फर्जी, मिथ्या है स्वर्गीय गोपाल ने वादी को कभी भी गोद नही लिया है — प्रतिवादी
3. गोपाल के पास वादी नही रहता था, पगडी भी वादी के नहीं बांधी गई है, आज भी गोपाल की पगडी रखी हुई है। — प्रतिवादी
4. दादरसी

वादी ने मौखिक साक्ष्य में स्वयं पीडब्ल्यू 1 गवाह के रूप में, पीडब्ल्यू 2 डॉ0 अर्जुन, पीडब्ल्यू 3 रामेश्वर के बयान करवाये है, दस्तावेजी साक्ष्य में प्रदर्श 1 गोदनामा, प्रदर्श 2 मृत्यु प्रमाण पत्र गोपाल व प्रदर्श 3 नकल जमाबंदी ग्राम किशनपुरा तह0 मांगरोल है। प्रतिवादीगण ने अपनी मौखिक साक्ष्य में डीडब्ल्यू 1 रामभरोसी व डीडब्ल्यू 2 कैकयी बाई के बयान लेखबद्ध करवायें। दस्तावेजी साक्ष्य में कोई दस्तावेज पेश नही किया है।

उभयपक्ष की बहस सुनी गयी। प्रस्तुत राजस्व रेकार्ड का ध्यान पूर्वक अवलोकन किया गया। उभयपक्ष ने उन्ही तथ्यो को अपनी बहस में दोहराया है जो उन्होने अपने—अपने अभिवचनो में कथन किया है और बयानो में कहा गया है।

न्यायालय के समक्ष मुख्य प्रश्न यह है कि क्या रामरतन उर्फ रतनलाल को मृतक खातेदार गोपाल ने गोद लिया था या नही इस प्रश्न के अलावा सभी तथ्य स्वीकार है जो चन्दालाल के दो पुत्र गोपाललाल व बजरंगलाल होना, गोपाललाल के दो पुत्री रामभरोसी व कैकयी तथा रामरतन के पिता बजरंगलाल यानि की वादपत्र का पारिवारिक सजरा स्वीकार्य तथ्य है। वादी ने दिनांक 21.09.2015 को एक प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि असल गोदनामा की आवश्यकता होने से असल गोदनामा प्रदर्शन उसे दिया जावे

[illegible] या उसकी वादपत्र में शामिल की जावें, प्रार्थना पत्र स्वीकार करने पर असल [illegible] प्रमाणित प्रति गोदनामा वाद में शामिल की गई।

[illegible] निम्न प्रकार निर्णय पारित कर रहा है

[illegible] तनकी नं0 1 को साबित करने का भी वादीपर व तनकी नं0 2 का साबित करने [illegible] है तनकी नं0 1 को साबित करने के लिए वादी ने अपने पक्ष में स्वयं के अलावा [illegible] व पीडब्ल्यू 3 रामेश्वर का बयान करवाये है पीडब्ल्यू 2 अर्जुन ने सशपथ बयान दिया है [illegible] लिखा गया है लिखवाते समय गोपाललाल की पत्नि कल्याणी बाई भी मौजूद थी, [illegible] मेरे हस्ताक्षर है। गोदनामा डीड राईटर श्रीराम जी ने लिखा था, गोदनामा पढकर [illegible] पीडब्ल्यू 2 रामेश्वर ने भी यही कथन किया है कि प्रदर्श 1 पर सी0 डी0 मेरे हस्ताक्षर है प्रदर्श 1 [illegible] लिखा था, गोदनामा लिखते समय वादी गोपाल के पास ही रहता था, स्वयं वादी ने सशपथ [illegible] दिया है कि गोपाल ने मेरी शादी की है, उनके पास ही रहता था, उनकी पगडी मेरे बांधी गई थी, पीडब्ल्यू 1 ने अपनी जिरह में कहा है कि एक्स 1 मुझे गोद लेने के बाद लिखाया था, जो मरते समय लिखाया था फिर कहा कि 8 दिन पहले लिखा गया था, जब गोपाल मर चुका था, फिर कहा कि गोपाल की उम्र 70 वर्ष करीब थी पीडब्ल्यू 2 रामेश्वर ने अपनी साक्ष्य में कहा है कि जिस समय गोदनामा लिखा उस वक्त रतनलाल की उम्र 10–12 साल थी। जबकि एक्स 1 में लिखा है कि बजरंग के पुत्र श्री रामरतन व्यस्क शादीशुदा को हमारे पास रख रखा है।

डी डब्ल्यू 1 व डी डब्ल्यू 2 कमशः रामभरोसी बाई व कैकेयी बाई रामरतन वादी को गोद लेने से इंकार करती है, तथा मृतक की पगडी रामरतन के बांधी हो इस बात से भी इंकार करती है तथा सारी जमीन हम दौनो बहिनों के पास है, जमीन का फौती इंतकाल हमारे खुला है।

वकील वादी ने अपनी बहस में बताया कि किसी भी दस्तावेज का प्रमाणित करने वास्ते अटेस्टेड विटनेश के बयान होना आवश्यक है तब वह दस्तावेज प्रमाणित माना जाता है प्रदर्श 1 के दौनो गवाहान डॉ0 अर्जुन व रामेश्वर ने सशपथ बयान दिया है, इसलिए दस्तावेज पर संदेह नही किया जा सकता तथा दस्तावेज पूरी तरह प्रमाणित कर दिया गया है। वकील प्रतिवादीगण ने बहस में बताया कि जो गोदनामे की आवश्यक पूर्ति होती है कुछ शर्ते गोदनामा एक्स 1 द्वारा पूरी नही की गई है जैसे गोदनामा का रजिस्टर्ड होना, गोदनामा रजिस्टर्ड नही है तथा जिस व्यक्ति को गोद लिया जा रहा है व नाबालिग होना चाहिए, गोदनामा में वादी रामरतन की उम्र का उल्लेख नही है, तथा गोदनामा में उल्लेखित बच्चे को प्राकृतिक माता–पिता द्वारा यह कहना कि इस हमारे बच्चे को गोद दे रहे है ऐसा कोई वाक्या गोदनामे में नही है तथा वादी के प्राकृतिक माता पिता के हस्ताक्षर भी गोदनामे पर नही है और वकील प्रतिवादी ने जोर देकर कहा कि इस एक्स 1 पर विश्वास नही किया जा सकता।

[illegible] प्रदर्श 1 पर गवाह पीडब्ल्यू 1 डॉ0 अर्जुन व पीडब्ल्यू 2 रामेश्वर ने बयान दिया है [illegible] अ से बी व सी से डी है, डीडराईटर श्री राम जी ने लिखा है गोदनामा प्रदर्श 1 [illegible] लिखवाया है। जिस पर गोपाल लाल व उसकी पत्नि कल्याणी बाई के हस्ताक्षर है, ऐसी [illegible] नहीं कहा जा सकता कि गोदनामा फर्जी व कूट रचित है।

[illegible] गोदनामे की आवश्यक पूर्ति को प्रदर्श 1 पूरी नही करता जैसे कि रामरतन की उम्र क्या थी, [illegible] में लिखा है कि रामरतन वयस्क शादीशुदा है गोदनामे पर उसके प्राकृतिक माता–पिता के हस्ताक्षर [illegible] गोदनामा रजिस्टर्ड नही है गोदनामा मात्र गोपाल के मरने के 8 दिन पूर्व लिखा गया था, वह स्वस्थ [illegible] नहीं ऐसा भी कोई प्रमाण पत्र नही है, इस तरह न्यायालय गोदनामा प्रदर्श 1 को विधिरूप और कानून [illegible] नहीं मानता है, वकील प्रतिवादी ने इस और भी न्यायालय का ध्यान दिलाया कि गोपाल की मृत्यु दिनांक 23.05.1997 को हो चुकी थी और वाद 2009 में 12 वर्ष बाद पेश किया यदि वादी गोद पुत्र था तो [illegible] इन्तकाल अपने नाम दर्ज कराने की कार्यवाही करना चाहिऐ थी।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर तनकी नं0 1 व 2 का निर्णय वादी के विरूद्ध तथा प्रतिवादी क्रम 1 व 2 के पक्ष में किया जाता है।

तनकी 3:– इस तनकी को साबित करने का भार प्रतिवादी को गोद नही लिया है, समस्त कियाकर्म मेरे पिताजी के के हम दोनो बहिने है और हम ही काश्त करती है, ऐसा ही बयान डीडब्ल्यू 2 कैकेयी ने दिया है कि मेरे कोई भाई नही है, हमारे पिताजी का कियाकर्म हम दौनो बहिनो ने किया है, आराजी हम काश्त कर रही है, लेकिन दोनो गवाहान पगडी बांधना किसी भी व्यक्ति के नही बताती है।

जबकि वादी ने अपने बयानो में तथा पीडब्ल्यू 2 अर्जुन व पीडब्ल्यू 3 रामेश्वर ने मृतक गोपाललाल की पगडी बांधना वादी रामरतन के बताया है, गवाहान ने यहां तक कहा है कि जाति बिरादरी के समक्ष पगडी वादी रामरतन के बांधी गई थी, न्यायालय के मत में वादी के बयान व गवाहान के बयानो के मध्य नजर वादी के पाग बांधने की रस्म होना साबित है।

उपरोक्त विवेचनो के आधार पर तनकी नं0 3 वादी के पक्ष में प्रतिवादीगण के विरूद्ध निर्णीत की जाती है।

दादरसी:– तनकी नं0 1 व 2 वादी के विरूद्ध निर्णीत किऐ जाने पर वाद वादी खारिज किया जाता है।

अतः आदेश दिया जाता है कि वाद वादी विरूद्ध प्रतिवादी कम 1, 2 खारिज किया जाता है, खर्चा वाद अपना–अपना उभय पक्ष वहन करेंगे। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।